भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 40 of 2020

Sub: Preventive Measures to contain the spread of COVID-19--- Officials residing at Containment Zone/ suffering from Covid related symptoms

Attention is invited to Office Orders No 32 & 33 of 2020 containing instructions regarding reporting of Officials in Board's Office during lock down period. In these instructions it has been advised that Officials residing in Containment Zones as demarcated by states/district administration will not attend Office.

2. Officials who are residing in containment zones / or suffering from any flu/Covid related symptoms are therefore advised to submit a ***'self declaration'*** to this effect to their reporting Officers concerned and G/Acc branch. The concerned ***Branch in charge*** may also review the status in respect of their branches/Directorates.

3. All Controlling Officers may ensure the above and closely monitor the status of Officials working in their respective Directorates on daily basis as precautionary measures to prevent the spread of Corona virus in Board's Office. Further, the Controlling Officers may also inform the administration immediately upon coming to know about any of their Officials suffering from Covid related symptoms or are reporting to office from containment zones. Suitable directive may be issued to subordinate officials in this regard.

4 Strict compliance of above instructions is solicited by all concerned.

No. 2020/O&M/9/1
Dated: 25 .05.2020

(B. Majumdar)
Joint Secretary/Railway Board

All Officers and Staff of Board's Office/Metro Bhawan, Pragati Maidan and at Dayabasti, New Delhi.

Copy to:

CRB, FC, ME, MRS, MT, MTR, MMM & MS&T

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

<u>2020 का कार्यालय आदेश सं.40</u>

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय - कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले/ कोविड संबंधी लक्षणों से ग्रस्त अधिकारी/कर्मचारी।

आपका ध्यान 2020 के कार्यालय आदेश सं.32 और 33 की और की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की रिपोर्टिंग के बारे में है। इन अनुदेशों में यह सूचित किया गया है कि राज्यों/जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।

2. इसलिए, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों या किसी बुखार (फ्लू)/कोविड संबंधी लक्षणों से ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों और सामान्य/आवास शाखा को इस संबंध में एक **"स्व घोषणा-पत्र"** प्रस्तुत करें। **संबंधित शाखा प्रभारी** अपनी शाखाओं/निदेशालयों के संबंध में स्थिति की समीक्षा भी करें।

3. बोर्ड कार्यालय में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय के तौर पर, सभी नियंत्रक अधिकारी कृपया इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और अपने संबंधित निदेशालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थिति पर दैनिक आधार पर गहन निगरानी रखें। इसके अलावा, नियंत्रक अधिकारी अपने किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के कोविड संबंधी लक्षणों से ग्रस्त होने या कंटेनमेंट जोन से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों के बारे में पता लगने पर प्रशासन को भी तत्काल सूचित करें। इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. सभी संबंधितों से उक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

(बी. मजुमदार)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

सं.2020/ओ एंड एम/9/1
दिनांक: 25.05.2020

बोर्ड कार्यालय, मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग प्रगति मैदान और दया बस्ती नई दिल्ली के सभी अधिकारी और कर्मचारी।

प्रतिलिपि प्रेषित:

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य चल स्टॉक, सदस्य यातायात, सदस्य कर्षण, सदस्य सामग्री प्रबंधन, सदस्य सिगनल एवं दूरसंचार